XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 2396—दो/06 जिला — भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 127/2005—2006/अपील में पारित आदेश दिनांक 01—12—2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम दीनपुरा स्थित विवादित भूमि के बटांकन हेतु एक आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि का बटांकन स्वीकार किया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपील कमशः अनुविभागीय अधिकारीएवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ इस प्रकरण में उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनवाई दिनांक 20.3.15 को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु कहा गया था किंतु किसी भी पक्ष की ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण केता द्वारा अपनी पुत्री कके नाम आलोच्य भूमि को विकय करने के उपरांत जो बटांकन किया गया था उसको विकेता ने चुनौती दी है जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं रह जाता है । एक बार भूमि विकय करने के उपरांत उसकी सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और पंजीकृत विकयपत्र को निरस्त करना या शून्य घोषित करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को राजस्व न्यायालयों को नहीं । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में राजस्व न्यायालयों के जो आदेश हैं वे विधिसम्मत, उचित और	

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों व अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	न्यायिक हैं और उनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	

15/-

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 2396-II/06 प्र.क्र. /06×07 नि.मा.

राधेश्याम पुत्र पंचमलाल उम्र 50 वर्ष
जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम दीनपुरा
तहसील व जिला भिण्ड(म.प्र.)

.....निगरानी कर्ता

बनाम

1. मायादेवी पत्नी रामचन्द
निवासी- हरियल बाग, इटावा रोड, भिण्ड

....गैर निगरानी कर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 127/2005×06 अ.मा. में पारित आदेश दिनांक - 1.12.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत

O.P. Sharma Adv. 26-12-2006

श्रीमान् महोदय,

निगरानी निम्नानुसार पेश है:-

// प्रकरण का संक्षिप्त विवरण //

1. यहकि, ग्राम दीनपुरा की आराजी नं. 170 तथा 171 के भूमि-स्वामी निगरानी कर्ता के पिता पंचमलाल थे। गैर निगरानी कर्ता ने उक्त आराजी नंबरान में से दिनांक 6.7.94 को आ.नं. 195 रकवा 0.334 में से रकवा 0.34 का तथा दिनांक 14.5.97 को आ.नं. 171 रकवा 0.30, 262 रकवा 0.43, 263 रकवा 0.75, 214 रकवा 0.13 किता 4 कुल रकवा 1.41 हेक्टर में से हिस्सा रकवा 0.04 का बयनामा कराया था। उक्त बयनामा के आधार पर गैर-निगरानी कर्ता ने विक्रीत रकवा पर अपना नामांतरण करा कर प्र.क्र. 2/2003 ×2004 अ.3 के आदेश दिनांक 15.3.04 को नायब

ओ.पी. शर्मा ..... को प्रस्तुत।
26/12/6
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर